न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–31 / 2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020 / 00047

उनवान –सरकार बनाम मनोज जिंदल पुत्र रामभरोसीलाल नि0महावीर पेट्रोल पम्प के पीछे सरमथुरा प्रो0मनोज किराना स्टोर सरमथुरा जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –27.08.2020

आज यह पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल अजमेर ने अप्रार्थी श्री मनोज जिंदल पुत्र रामभरोसीलाल नि0महावीर पेट्रोल पम्प के पीछे सरमथुरा प्रो0मनोज किराना स्टोर सरमथुरा जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2019 को अप्रार्थी की दुकान मैसर्स मनोज किराना स्टोर सरमथुरा जिला धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में रखे 500–500एमएल के 10 जार वनस्पति (श्री मोहन दीप) जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। अप्रार्थी ने खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। इसमें मिलावट का शक होने पर उक्त वनस्पति (श्री मोहन दीप) में से 500–500 एमएल के 4 जार वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया उक्त वनस्पति (श्री मोहन दीप) नमूना डी–1676 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 18.11.2019 के अनुसार उक्त वनस्पति (श्री मोहन दीप) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढ़कर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्राण्ड वनस्पति (श्री मोहन दीप) का विक्रय करके खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिसब्राण्ड वनस्पति (श्री मोहन दीप) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री मनोज जिंदल पुत्र रामभरोसीलाल नि0महावीर पेट्रोल पम्प के पीछे सरमथुरा प्रो0मनोज किराना स्टोर सरमथुरा जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 2500 /–रुपये (दो हजार पॉच सौ रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)